न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–121/2023

प्रार्थीः–

देवेन्द्र कुमार वी.पुरोहित पुत्र वंसतराय पुरोहित जाति पुरोहित निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री गौतम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–13.05.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 942/476 रकबा 2.3959 हैक्टयर भूमि ग्राम नाल पटवार हल्का गुडानाल तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड अन्य सरकारी दस्तावेज में वास्तविक नाम ''देवेन्द्र कुमार वी पुरोहित पुत्र वसंतराय पुरोहित'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''देवेन्द्र कुमार वी पुरोहित पुत्र वसंतराय पुरोहित'' के स्थान पर ''देवेन्द्र कुमार पुत्र वोताजी'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./वाद/2023/94 दिनांक 19.01.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम देवेन्द्र कुमार वी पुरोहित पुत्र वसंतराय पुरोहित है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' देवेन्द्र कुमार वी पुरोहित पुत्र वंसतराय पुरोहित'' के स्थान पर ''देवेन्द्र कुमार पुत्र वोताजी '' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, पेन कार्ड,भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम देवेन्द्र कुमार वी. पुरोहित पुत्र वंसतराय दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र वोताजी दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम देवेन्द्र कुमार वी.पुरोहित पुत्र वसंतराय पुरोहित होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नाल तहसील सिवाना की खसरा संख्या 942/476 रकबा 2.3959 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''देवेन्द्र कुमार पुत्र वोताजी'' के स्थान पर ''देवेन्द्र कुमार वी. पुरोहित पुत्र वोताजी'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested